



बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खॉं मार्ग, पटना-800 014

संख्या व.सं./101/2020-2021

प्रेषक,

राकेश कुमार, भा०व०सै०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक-24/02/2021

विषय - जमुई जिलान्तर्गत श्रवण-बकशीला पथांश के 23वें कि०मी० में धथुरिया नदी पर 3x14m आकार का उच्चस्तरीय RCC High Level Bridge निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.4800 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि जमुई जिलान्तर्गत श्रवण-बकशीला पथांश के 23वें कि०मी० में धथुरिया नदी पर 3x14m आकार का उच्चस्तरीय RCC Bridge निर्माण के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.4800 हे० वन भूमि अपयोजन हेतु कार्यपालक अभियन्ता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, जमुई का प्रस्ताव जाँचोपरान्त वन संरक्षक, भागलपुर अंचल, भागलपुर के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

2. विषयांकित पथ पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 921 (ई०) दिनांक 28.08.1997 द्वारा "सुरक्षित वन" के रूप में अधिसूचित है, लेकिन भूमि का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग, बिहार का है। प्रस्तावित RCC High Level Bridge के निर्माण में 0.4800 हे० वन भूमि के अपयोजन का प्रस्ताव है।

3. वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई द्वारा भाग-II की प्रविष्टि में वनों का वानस्पतिक घनत्व 0.3 एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं करने की सूचना अंकित किया गया है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई द्वारा भाग-II की प्रविष्टि में अंकित किया गया है कि परियोजना निर्माण के क्रम में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा।

4. अपयोजित होने वाली वन भूमि के पथांशों को दर्शाते हुए मूल टोपो शीट नक्शा Geo-referenced नक्शा Index के साथ संलग्न किया गया है जो प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित है।

5. परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये जिला पदाधिकारी, जमुई द्वारा FRA, 2006 प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है। परन्तु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-43/2013-FC दिनांक 26.02.2019 के आलोक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा FRA, 2006 प्रमाण पत्र, सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के अनुपालन के साथ उपलब्ध कराने संबंधित दिशा-निर्देश निर्गत की गयी है। तद्आलोक में बिना FRA, 2006 प्रमाण पत्र के ही प्रस्ताव पर Stage-I की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव अग्रसारित किया जा रहा है।

7. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश की कंडिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है-

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 0.4800 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भैल्यू (NPV) के मद में रु० 6.26 लाख प्रति हे० के दर से रु० 3,00,480/- (रुपये तीन लाख चार सौ अस्सी) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. परियोजना निर्माण के क्रम में हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों के क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के मानक दर एवं वर्तमान मजदूरी दर पर रु० 7,36,560/- राशि देय होगी।

प्रस्ताव की दो प्रतियाँ अनुलग्नक के साथ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही। प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(राकेश कुमार)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

ज्ञापांक- व.सं./101/2020-2021 दिनांक- 24/02/2021

प्रतिलिपि - कार्यपालक अभियन्ता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, जमुई/वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई वन प्रमंडल, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राकेश कुमार)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।